

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सी -स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर-16

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ / डीएलबी / 2018 / 186-341

दिनांक : 05-02-2018

1. कार्यकारी निदेशक, रूफडिको जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, आरयूआईडीपी जयपुर।
3. महाप्रबंधक, जेसीटीएसएल जयपुर।
4. सचिव, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जयपुर।
5. सचिव, अधिनस्थ एवं मंत्रायलिक सेवा चयन भर्ती आयोग, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. समस्त अधिकारी/कर्मचारी (राजपत्रित) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
8. आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका, समस्त राजस्थान।

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारीयों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन भरने के संबंध में।

प्रसंग:- कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 27.12.2017, 31.01.2018 तथा अं0शा0पत्र दिनांक 23.01.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक परिपत्र के संबंध में लेख है कि विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त राजपत्रित अधिकारीयों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा 15.02.2018 तक ऑनलाईन अपलोड किया जाना है। अतः उक्त परिपत्र एवं निर्देशों की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.02.2018 तक समस्त राजपत्रित अधिकारीयों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा 15.02.2018 तक ऑनलाईन अपलोड करने की पालना सुनिश्चित करें तथा साथ ही जिन अधिकारीयो द्वारा उक्त तिथी तक अपना अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन नहीं किया जायेगा उनकी एक जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जावे, उनकी विजिलेन्स क्लीयरेंस रिपोर्ट जारी नहीं की जावे एवं पदोन्नति पर विचार नहीं किया जावे। उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार परिपत्र प्रति।


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ /डीएलबी /2018/342-354
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

दिनांक : 05-02-2018

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-1) शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. आहरण वितरण अधिकारी, (प्लान/नॉन प्लान) निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. संस्थापन शाखा (प्लान/नॉन प्लान)/आरएमएस संस्थापन शाखा/आरएमएस (टी) संस्थापन शाखा/एसएमई संस्थापन शाखा, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. नोडल अधिकारी विभागीय वेबसाईट, निदेशालय।
10. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक



भास्कर ए. सावंत, आई.ए.एस.

Bhaskar A. Sawant, IAS

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
पत्र नं. 1214
दिनांक 23/1/18

शासन सचिव, राजस्थान सरकार
Secretary to Govt. of Rajasthan
कार्मिक विभाग
Department of Personnel
शासन सचिवालय, जयपुर - 302005
Govt. Secretariat, Jaipur - 302 005

In 1805752
31/1/18

अर्द्ध शा.पत्र क्रमांक: 13(76)का./क-1/गो.प्र./11

जयपुर, दिनांक: 23 JAN 2018

आदरणीय सर,

मैं आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 27.12.2017 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसके द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग-इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE पर ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरेगे। प्रतिवर्ष इस विषय में राजस्थान विधानसभा में माननीय सदस्यों द्वारा कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है।

कृपया आपके विभाग से संबंधित सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे स्वयं के अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से RAJ KAJ सॉफ्टवेयर में IPR MODULE पर 31 जनवरी 2018 से पूर्व अपलोड करने हेतु सुनिश्चित करावें। साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा 31 जनवरी 2018 तक अपना अचल सम्पत्ति विवरण ऑन-लाईन नहीं किया जायेगा, उनकी एक जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जावे, उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस रिपोर्ट जारी नहीं की जावे एवं पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाना भी सुनिश्चित करावें।

साह,

भवनिष्ठ,

(भास्कर ए. सावंत)

श्री मन्जीत सिंह,
प्रमुख शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग।

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक: 31 JAN 2018

—:परिपत्र:—

विषय:— समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.17 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2017 (1 जनवरी 2018 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि 15 फरवरी 2018 तक बढ़ायी जाती है।

(अरविन्द पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव मंत्री / राज्य मंत्री / संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक: 27 DEC 2017

—:परिपत्र:—

विषय:— समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में।

राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है। कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर समस्त प्रशासनिक विभागों को उनके अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पत्ति विवरण उनके विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संयुक्त शासन सचिव व शासन सचिव, कार्मिक विभाग की ओर से अर्द्धशासकीय पत्र लिखे जाने के उपरान्त भी प्रशासनिक विभागों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी, राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पत्ति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं कराये गये।

अतः सभी प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबंध में संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को इन बिन्दुओं की पालना करने हेतु सुनिश्चित करावें:—

1. राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं अधिकारी द्वारा पूर्ति कराई जानी है।
2. प्रशासनिक विभागों द्वारा यह निर्देशित किया जावे कि उनके अधीन समस्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय में अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर पूर्ति करने का निर्देश प्रदान करे। वर्ष 2018 से टंकित/हस्तलिखित अचल सम्पत्ति विवरण स्वीकार योग्य नहीं है।
3. जो अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेस कलीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम स्वायत्तशासी संस्थाओं उपक्रमों पर भी लागू है।
4. सभी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017 (01 जनवरी 2018 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण व उसके पश्चातवर्ती वर्षों का अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है।
5. अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR

6. समस्त राज्य सेवा अधिकारियों को SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन-लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राज्य सेवा अधिकारी एवं अधिनस्थ सेवाओं के सभी राजपत्रित अधिकारियों तथा निगम बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन-लाईन स्वयं अधिकारियों द्वारा समय सीमा में पूर्ति कराये जाने हेतु निर्देशित करें।

उपर्युक्त बिन्दुओं में वर्णित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति विवरण उपर्युक्त समय सीमा में नहीं भरेगें तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेन्स क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्धि नहीं दी जावेगी।


(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव मंत्री / राज्य मंत्री / संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान।
9. स्थित प्रशासकी।

प्रक्रिया

किसी भी अधिकारी को राजकाज के माध्यम से Immovable Property Return (IPR) भरने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य (Mandatory) हैं:-

प्रक्रिया	समाधान
अधिकारी SSO Portal पर रजिस्टर होना चाहियें।	यदि अधिकारी SSO Portal पर रजिस्टर नहीं है तो पहले वह SSO Portal पर रजिस्टर करें। यदि अधिकारी SSO Portal पर रजिस्टर हैं लेकिन उनकी आवश्यक सूचना जैसे कि Employee ID (eg. RJJP20101119001235), Aadhaar No, Mobile No., Email ID ठीक नहीं है तो वह स्वयं SSO Portal पर Login करके अपनी सूचना को Update करें।
RAJ-KAJ Application में अधिकारी की Employee Profile created होनी चाहिए।	यदि अधिकारी की Raj-Kaj में Employee profile created नहीं है तो वह RAJ-KAJ Application में Employee Self User Creation के माध्यम से आवश्यक सूचना जैसे:- Employee Name, Father's Name (English & Hindi), Appointing Department, Service Type, Cadre, Designation, Posted Department etc उपलब्ध कर अपनी Profile Create कर सकते हैं।
RAJ-KAJ Application के माध्यम से Immovable Property Return (IPR) भरना।	RAJ-KAJ Portal पर Applications icon क्लिक करने के पश्चात् left menu में Employee Functions → Immovable Property Return सलेक्ट करें। इसके पश्चात् अधिकारी Property की Details भरकर Save कर सकते हैं। अधिकारी Add बटन के द्वारा अपनी शेष Property की Details भर सकते हैं। View IPR बटन को click कर अधिकारी अपने द्वारा भरी गई समस्त सम्पत्ति का विवरण देख सकते हैं। यदि किसी सम्पत्ति के विवरण में कुछ परिवर्तन करना है तो उस सम्पत्ति को Select कर Update बटन के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं।

	समस्त सम्पत्ति का विवरण सही रूप से भरने के पश्चात् Submit IPR बटन पर क्लिक करें। अधिकारी के Aadhaar No. से linked Mobile No. पर प्राप्त One Time Password (OTP) के माध्यम से IPR को E-Sign से हस्ताक्षरित कर Submit करें।
--	---

किसी भी तकनीकी सहायता हेतु कृपया संपर्क करें:-

SSO सम्बंधी सहायता हेतु	Raj-Kaj सम्बंधी सहायता हेतु
Email: helpdesk.sso@rajasthan.gov.in Ph: 0141-5153222 (Ext 25555) IP: 25555	Email: support.eoffice@rajasthan.gov.in Ph: 0141-5153222 (Ext 21304, 22281, 21348) IP: 21304, 22281, 21348 Officer Name and Contact detail : Arif Siddiqui:- 9549520764 Vineet Tulsyan :- 7621846038 Sharaddha Adhikari :- 7073334725, sharaddha.adhikari@gmail.com Manoj Sharma :- 9828226768, manojsharma@rajasthan.gov.in

Amul